(62)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	208/2020 हनुमान / कुगनाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	225	
14/7/20	अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। चूँकि पत्रावली में प्रार्थना पत्र केवियट पेश हुआ है अतः केवियटकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16/7/20 को पेश हो।	क्र.नो. 2952 / 14.7.20
16/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता उपस्थित। उन्हें नकल उपलब्ध करवाई गयी। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 21/7/20 को पेश हो।	
21/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता। रेस्पो. ने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया, जिसकी नकल अधि. अपीलार्थी को दिलवायी गयी। रेस्पो. सं. 10, 11 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष पारीक ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान ने लॉकडाउन की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये आदेश दिनांक 03/6/20 एवम् 12/6/20 को निरस्त करने एवम् प्रकरण उभयपक्षों की सुनवाई कर पुनः निर्णय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की। अतः चूंकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे लॉकडाउन के दौरान आदेश दिनांक 03/6/2020 एवम् 12/6/2020 पारित किये गये है एवम् जिसको निरस्त किये जाने पर उभयपक्ष सहमत है। अतः प्रकरण को गुणावगुण पर परिक्षण किये बगैर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान / जुगलाराम

तारीख हुक्म	208/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/6/2020 एवम् 12/6/2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करें। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। उभयपक्षों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07/8/2020 मय आदेश की प्रति सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)